फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मांगीलाल बनाम धापीदेवी

85/21 धारा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि. उप.। प्रतिवादी-1 अनुपस्थित। एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 28/8/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
28/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वादी द्वारा पेशी प. आवश्यककरण से बहस करे। पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
29/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 5/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
5/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वास्ते आदेश दिनांक 9/9/2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
9/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 85/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 15.11.2021

1. मांगीलाल पुत्र श्री घासी जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. पार्वती देवी पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. घासी पुत्र गुल्ला
2. पांची देवी पत्नी घासी
3 बोदूराम पुत्र घांसी
4 जगदीश पुत्र घासी
5. बाबूलाल पुत्र घासीं
6. शैतान पुत्र भंवर
7. लाली देवी पत्नी भंवर
8. मुकेश पुत्र भंवर
9. विमल पुत्र भंवर
10.कानी देवी पत्नी बंशी
11. तोफान पुत्र बंशी
12. बाबू पुत्र बंशी
समस्त जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री गजराज कुमार योगी – अधिवक्ता वादी की ओर से

दिनांक 04.09.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित जमाबंदी संवत 2075-2078 आराजी खाता संख्या नया 159 पुराना 146 के खसरा नम्बर 224 रकबा 0.99 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 160 पुराना 147 के खसरा नम्बर 220 रकबा 0.00 हैक्टेयर खाता संख्या नया 403 पुराना 369 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 226 रकबा 0. 15 हैक्टेयर कुल किता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर में वादीगण का खसरा नम्बर 221 व 226 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 220 व 224 शामलाती हैं। मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को इस वाद पत्र के आगे के मदो में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। 3. यह कि खसरा नम्बर 221 व 226 वादीगण के नाम से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 220 व 224 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से हैं, व वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 का शामलाती हिस्सा निहित हैं। वादीगण खसरा नम्बर 222 पर मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं जो कि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 खसरा नम्बर 221, 226, 220, 224 पर मकान आदि बनाकर निवास कर रहे हैं तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर काश्त कर रहे हैं, तथा वादीगण और देवी पार्वती को उक्त आराजी में न तो कब्जा काश्त करने देते हैं और न ही निवास हेतु मकान आदि बनाने देते हैं। जबकि खसरा नम्बर 221 व 226 स्वयं वादीगणं के नाम हैं। किन्तु फिर भी नाजायज तरीके से वादीगण की उक्त आराजीयात को हथिया कर कब्जा काश्त कर रहे हैं। जबकि वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पुत्र हैं, तथा वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुत्रवधू है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का यह कर्तव्य है कि वह अपने समस्त पुत्रों को बराबर का हक व दर्जा देवें। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को अपने हक से महरूम कर रखा है। दिनांक 25/9/2021 को वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 दीगर व्यक्तियों को लेकर आये और वादग्रस्त आराजी को ईशारे करते हुये दिखाने लगे, जिस पर वादी संख्या 1 मौके पर जाकर दीगर व्यक्तियों को जमीन देखने का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 4 व 5 भडक गये और वादी संख्या 1 को एलानियां धमकी दी कि उक्त आराजी को साथ में लाये हुये दीगर व्यक्तियों को बैचान करेगें तथा उक्त आराजी पर पक्की सड़क डलवाकर कॉलोनी विकसित कर देगें, जिसमें तुम्हारे नाम की आराजी खसरा नम्बर 221 व 226 को भी शामिल कर लेगें। यह कि आराजी खसरा नम्बर 220 व 224 शामलाती हक हिस्से की जमीन है जिसमें प्रत्येक इंच व भाग पर वादी संख्या 1 का भी हक व हिस्सा निहित हैं, तथा उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जो कि वादी संख्या 1 के माता–पिता हैं जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान आदि करने का कोई अधिकार नहीं हैं, तथा उक्त आराजी को सभी पक्षकारान् में विधिक हक हिस्सा घोषित करवाकर इसका बंटवारा कर नक्शा व लगान अलग से कायम करवाने के वादीगण अधिकारी हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] तामील पांच महिने उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 31.05.2024 [illegible] इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1[illegible] अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.07.2024 को एक पक्षीय कार्यावाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 9 [illegible] अनुपस्थित रहने पर दिनांक

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

07.05.2025 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 11 की दिनांक 18.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् कायम की गई।

1. आया विवादित पैतृक आराजी वाके ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नम्बर 224 रकब 0.99 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 160 पुराना 147 के खसरा नम्बर 220 रकबा 0.4 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें?

वादी

2. आया विवादित आराजी के खाता संख्या नया 403 पुराना 369 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 226 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुरल करबा 0.24 एवं खसरा नम्बर 224 रकबा 0.99 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 220 रकबा 0.14 हैक्टेयर का घोषणा उपरान्त बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर खाता व नक्शा अलग किया जावे?

वादी

3. आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

वादी

4. अनुतोष

वादीगण को साक्ष्य के समुचित अवसर दिये गये। परन्तु वादीगण अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2025 को साक्ष्य वादीगण बंद की गई।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। न्यायिक दृष्टान्त, बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादित पैतृक आराजी वाके ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नम्बर 224 रकब 0.99 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 160 पुराना 147 के खसरा नम्बर 220 रकबा 0.4 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें?

.......वादीगण

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण ने जाहिर किया है कि खसरा नम्बर 220 व 224 शामलाती हक हिस्से की जमीन है जिसमें प्रत्येक इंच व भाग पर वादी संख्या 1 का भी हक व हिस्सा निहित हैं, तथा उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके पिता एवं माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, अतः उक्त आराजी मे विधिक हक हिस्सा घोषित किया जावे।

वादी ने तनकी संख्या 1 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2075 से 2078 खसरा संख्या 224, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 खसरा संख्या 220, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 220, 224 व 225 पेश किया है।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

चूकि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ... प्रथमतया न्यायालय को यह देखना है कि उक्त आराजी पैतृक भूमि है या नहीं वादीगण ने केवल वर्तमान

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जयपुर

जमाबंदीया पेश की है इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य शहादत भी पेश नहीं कि है मात्र केवल जमाबंदी पेश करने से यह साबित नहीं होता है कि उक्त आराजी पैतृक हो। न्यायालय द्वारा वादीगण को वाद को साबित करने हेतू कई अवसर दिये गये बावजूद, वादीगण ने मौखिक या अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। यह विधि का स्थापित कानूनी सिद्धांत यह है कि दावा साबित करने के लिए प्रार्थी को निर्धारण के लिए बिंदु साक्ष्य, पेश करना आवश्यक है जोकि मुद्दों को तय करने का आधार हैं। फलस्वरूप वादी पक्ष की ओर से मौखिक (गवाही के रूप में) या अतिरिक्त दस्तावेजी (लिखित दस्तावेज़ के रूप में) साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है, जिससे उसके दावे को साबित नहीं किया जा सका। तदनुसार उक्त तनकीयात 1... वादीगण 1 लगायत 2 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. आया विवादित आराजी के खाता संख्या नया 403 पुराना 369 के खसरा नम्बर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 226 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुरल करबा 0.24 एवं खसरा नम्बर 224 रकबा 0.99 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 220 रकबा 0.14 हैक्टेयर का घोषणा उपरान्त बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर खाता व नक्शा अलग किया जावे? वादी

3. आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे? वादी

उक्त तनकीयात साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 01 के विवेचन एवं उनमें पारित निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद को साबित नहीं कर पाये हैं। जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार साबित नहीं हो पाये हैं। ऐसी स्थिति में बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने का अनुतोष मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। अतः उक्त तनकी को अर्थहीन व अनावश्यक (Infructuous) निर्णित किया जाता है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 85/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 01.10.2021

1. मांगीलाल पुत्र श्री घासी जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर
2. पार्वती देवी पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला

–वादीगण

बनाम

2. घासी पुत्र गुल्ला
2. पांची देवी पत्नी घासी
3 बोदूराम पुत्र घांसी
4 जगदीश पुत्र घासी
5. बाबूलाल पुत्र घासीं
6. शैतान पुत्र भंवर
7. लाली देवी पत्नी भंवर
8. मुकेश पुत्र भंवर
9. विमल पुत्र भंवर
10.कानी देवी पत्नी बंशी
11. तोफान पुत्र बंशी
12. बाबू पुत्र बंशी
समस्त जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा–88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 09.09.2025

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 09.09.2025 को जारी किया ।

दस्तखत –––
ओहदा –––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प [illegible] दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		[illegible]	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह [illegible]		
महन्ताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश[illegible]		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner